न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 28/2017

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण		जुगीया पुत्र उम्मेद भांबी के कायम मुकाम 1 अणदाराम पुत्र जुगाराम भांबी निम्बोल 2 गुमानराम पुत्र जुगाराम भांबी निम्बोल 3 तिजोदेवी पत्नी दौलतराम पुत्री जुगाराम भांबी निवासी चावण्डिया 4 गीता पत्नी बंशीलाल पुत्री जुगाराम भांबी निवासी चावण्डिया 5 कमला पत्नी चौथाराम पुत्री जुगाराम भांबी निवासी आगेवा 6 भीकाराम पुत्र शेराराम बावरी निवासी ग्राम पिपलिया खुर्द तहसील जैतारण

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी

–:: आदेश ::–

दिनांक : 10.04.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल के खसरा नम्बर 745 किस्म गै.मु. वाला के नियम विरूद्ध किए गए नियमन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम निम्बोल पटवार मण्डल निम्बोल के खसरा नम्बर 745 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.मु.वाला जो सिवाय चक दर्ज था। जिसका नियमन उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व केम्प/46–49 दिनांक 22.04.1976 के द्वारा किया गया है। उक्त भूमि की किस्म वक्त आवंटन/नियमन गै.मु.वाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से नियमन नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उक्त नियमन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का नियमन आदेश के साथ ही उसके संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 23.04.1976 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन वाला दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश 2

राजस्व विविध 28/2017 सरकार बनाम जुगीया वगैरा

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 ने बक्त बहस एवं अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा ग्राम निम्बोल पटवार मण्डल निम्बोल के खसरा नम्बर 745 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा बारानी अव्वल की कृषि भूमि दर्ज है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 6 ने जुगीया पुत्र उमेद भांबी के का.मु. अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 से जरिये रिजस्ट्रर्ड विक्रय विलेख दिनांक 12.01.2010 के खरीद की है। उक्त आराजी का नियमन जुगीया पुत्र उमेद भांबी को उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व केम्प/46–49 दिनांक 22.04.1976 के द्वारा किया गया है। इसकी पालना में जैर प्रार्थना पत्र भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त कृषि भूमि ख.न. 745 का पूर्व में रकबा 3–18 बीघा किस्म बा.अ. था, जिसमें से 2 बीघा कृषि भूमि ना.स. 2496 दिनांक 09.04.2011 के जरिये सरकारी हक में समर्पण हुई जिसके ख.न. 745/1 बना एवं किस्म बा.अ. रास्ता दर्ज हुई। जैर प्रार्थना पत्र भूमि मौके पर वर्तमान में वाला के रूप में स्थित नहीं है बल्कि काबिल काश्त भूमि है, जिस पर अप्रार्थी ने लाखों रूपये लगाकर काबिल काश्त बनाया है एवं अपना भरण–पोषण करता है तथा इस संबंध में वास्तविक स्थिति बाबत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मंगवाई जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी तथ्य के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध रेफरेन्स कार्यवाही ड्रोप फरमाते हुए प्रकरण को खारिज करावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम निम्बोल पटवार मण्डल निम्बोल तहसील जैतारण में स्थित भूमि के खसरा नम्बर 745 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.मु.वाला जो सिवाय चक दर्ज था। जिसका नियमन उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व केम्प/46–49 दिनांक 22.04.1976 के द्वारा किया गया एवं उसकी पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 23.04.1976 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी जुगीया को गैर खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन वाला दर्ज थी जिसका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आता है। जिससे अप्रार्थी के हक में किया गया नियमन विधि विरूद्ध होने से खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व केम्प/46–49 दिनांक 22.04.1976 की पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 23.04.1976 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी स्व. जुगीया पुत्र उमेद भांबी निवासी निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व केम्प/46–49 दिनांक 22.04.1976 की पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 23.04.1976 को निरस्त करावे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली